प्रेस विज्ञप्ति
03.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने के लिए धारा 37ए के तहत मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने और जीडीआर की पूरी राशि का उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग न करने के संबंध में मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड, उसके प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य के खिलाफ फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कुल जीडीआर प्राप्तियों में से मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड ने जीडीआर के पूरे आगम भारत को वापस नहीं भेजे और फेमा, 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (22.02 करोड़ रुपये) के जीडीआर आगमों को भारत के बाहर रखा।

आगे की जांच जारी है।